11.7.2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित आदेश। मूलवाद स्वाद के अभाव में खारिज किया जा चुका है, प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है, लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested